

बस्तर के सुदूर क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मिलेगी शीघ्र सुनवाई की सुविधा

हरिभूमि न्यूज ॥ जगदलपुर

जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर में ई-हियरिंग की सुविधा आरंभ

जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर में सोमवार 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया द्वारा वर्चुअल माध्यम से ई-हियरिंग का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने उद्घोषन में कहा कि ई-हियरिंग के माध्यम से प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई हो सकेगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश, देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जिसके समस्त जिला आयोग में ई-हियरिंग के माध्यम से प्रकरणों की



ये रहे मौजूद

ई-हियरिंग का शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य प्रमोद वर्मा, रजिस्ट्रार श्रीनिवास तिवारी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार मोना चैटवाल, लेखाधिकारी मधुलिका खड्ग, जिला उपभोक्ता आयोग रायपुर के अध्यक्ष डा. के.के. शर्मा सहित सदस्य विरुपमा प्रधान एवं अखिल अखिलेश्वरी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय स्तर पर जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोला सहित जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण दास, सचिव लिखेश्वर जोशी उपस्थित हेलेना विरिथरन, खाद्य विभाग धनश्याम सिंह राठौर, सहस्रक खाद्य विभाग दिव्या राजी सहित अधिवक्तागण एवं जिला उपभोक्ता आयोग के कर्मचारीगण उपस्थित थे।

सुनवाई की सुविधा आरंभ की गई है। समस्त जिला आयोग में ई-फाइलिंग की सुविधा पूर्व से उपलब्ध थी और अब ई-हियरिंग से जुड़ने के पश्चात बस्तर अंचल के सुदूर क्षेत्रों के उपभोक्ता भी अपनी समस्याओं का त्वरित निराकरण करवाने में सक्षम हो सकेंगे। कार्यक्रम के आरंभ में जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल ने ई-हियरिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान कर इस तकनीकी नवाचार के आरंभ होने से उपभोक्ता एवं अधिवक्ताओं के होने वाले हितों पर प्रकाश डाला। उक्त कार्यक्रम के दौरान एक प्रकरण में ई-हियरिंग के माध्यम से सुनवाई भी की गई।